राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

बेटी बचाओ
save the girl child

दिनांक : 31/07/14

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ /2014/ 700

अनौपचारिक टिप्पणी

विषयः- 104 टोल फ्री सेवा पर भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत के निस्तारण के संबंध में FAQ's को www.rajswasthya.nic.in पर अपलोड करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 104 टोल फ्री सेवा पर भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत के निस्तारण के संबंध में FAQ's को www.rajswasthya.nic.in पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उप निदेशक आरसीएच एवं
प्रभारी राज्य पीसीपएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान, जयपुर।

सलाहकार आई0टी (एनएचएम)

104 टोल फ्री नम्बर पर भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
1	शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है ?	104 टोल फ्री सेवा पर भ्रूण लिंग परीक्षण सम्बन्धी शिकायत हर कोई दर्ज करवा सकता है।
2	शिकायतकर्ता मोबाईल व लैण्डलाईन फोन दोनो से कब–कब शिकायत दर्ज करवा सकता है ?	शिकायतकर्ता हेतु 104 टोल फ्री सेवा 24 घण्टे चालू रहेगी, वह अपने मोबाईल या लैण्डलाईन फोन द्वारा शिकायत दर्ज करवा सकता है।
3	क्या शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जायेगा ?	हां, शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जायेगा।
4.	104 टोल फ्री पर शिकायत रजिस्टर होने पर राज्य समुचित प्राधिकारी को कितने समय बाद फारवर्ड की जायेगी ?	104 टोल फ्री पर प्राप्त गम्भीर शिकायत तुरन्त राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा S.M.S. भी किया जायेगा।
5	104 कॉल सेन्टर से पीसीपीएनडीटी राज्य प्रभारी को मोबाईल/लैण्डलाईन पर भी सूचित किया जायेगा ?	सांय 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक गम्भीर शिकायत राज्य समुचित प्राधिकारी, जिला कलक्टर, पीसीपीएनडीटी समन्वयक को S.M.S. तथा फोन से दी जा सकती है।
6	शिकायत यदि जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, सीएमएचओ के खिलाफ है तो उसे कहां Forward की जायेगी ?	शिकायत यदि जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, सीएमएचओ के खिलाफ है तो उसे जिला कलक्टर या राज्य समुचित प्राधिकारी को Forward की जायेगी।
7	कार्यालय समय में शिकायत 104 टोल फ्री सेवा द्वारा राज्य, जिला समुचित प्राधिकारी को e-mail द्वारा की जा सकती है अथवा नही ?	कार्यालय समय 9.30 A.M. से 6 P.M. तक शिकायत 104 टोल फ्री सेवा द्वारा राज्य, जिला समुचित प्राधिकारी को e-mail द्वारा की जा सकेगी तथा राज्य पीसीपीएनडीटी के प्रभारी को SMS व फोन पर भी सूचित किया जा सकेगा।
8	क्या e-mail व कॉल दोनो द्वारा भेजी गयी शिकायत की Carbon Copy संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को भी दी जा सकती है अथवा नही ?	e-mail व कॉल दोनो द्वारा भेजी गयी शिकायत की Carbon Copy संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी को भी दी जा सकेगी।
9	104 टोल फ्री से शिकायतकर्ता को शिकायत बाबत किये गये समाधान से अवगत करवाया जायेगा अथवा नही ?	104 टोल फ्री से शिकायतकर्ता को शिकायत बाबत किये गये समाधान से अवगत करवाना है।
10	104 टोल फ्री पर प्राप्त शिकायत के निस्तारण व अन्य बिन्दुओ की मासिक समीक्षा की जायेगी अथवा नही ?	104 टोल फ्री पर प्राप्त शिकायत, निस्तारण व अन्य बिन्दुओ की मासिक समीक्षा की जायेगी।

11	अगर शिकायत डिकॉय से सम्बन्धित है तो डिकॉय सफल होने तक शिकायतकर्ता से लगातार सम्पर्क रखा जायेगा अथवा नही ?	अगर शिकायत डिकॉय से सम्बन्धित है तो डिकॉय सफल होने तक शिकायतकर्ता से लगातार सम्पर्क रखा जायेगा।
12	क्या 104 टोल फ्री पर शिकायत रिसीव नहीं की जायेगी तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ?	104 टोल फ्री पर शिकायत रिसीव नहीं की जायेगी तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
13	क्या शिकायतकर्ता को न्यायालय में गवाह बनाया जायेगा ?	माननीय न्यायालयों में शिकायतकर्ता को गवाह नहीं बनाया जायेगा।
14	क्या मोबाईल/लैण्डलाईन फोन से प्राप्त शिकायत का वार्ता करके सत्यापन किया जायेगा ?	शिकायत झूठी न हो इस हेतु 104 टोल फ्री पर मोबाईल/लैण्डलाईन फोन से प्राप्त शिकायत को पुनः उसी फोन पर वार्ता करके सत्यापन किया जायेगा।